

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-19/2023

जीसीएमएस नं. 2023/504

हेमराज गुर्जर (आरएएस)
दायर दिनांक:-18.10.2023

सुरजीत पुत्र रमन उम्र 28 साल जाति जाटव निवासी लहचौडा तहसील सूरौठ
जिला करौली राज0

तहसीलदार तहसील सूरौठ, जिला करौली राज0

बनाम

—प्राथी

—अप्राथी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित -1.श्री रामखिलाडी सैनी अधिवक्ता प्राथी

2 परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक- 5-7-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी के कब्जेकाशत व खातेदारी की भूमि खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 339 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 06 ऐयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 08 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम लहचौडा, तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्राथी बहिस्सा 5/84 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है।

भूमि खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 1281 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 19 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 56 ऐयर वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्राथी बहिस्सा 5/72 भाग रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है।



भूमि खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 374 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 377 रकबा

13 ऐयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 59 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी बहिस्सा 5/84 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

भूमि खाता संख्या 198 के खसरा नम्बर 1272 रकबा 48 ऐयर, खसरा नम्बर 1273 रकबा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 1274 रकबा 06 ऐयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 07 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा .45 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी बहिस्सा 5/189 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

भूमि खाता संख्या 409 के खसरा नम्बर 1284 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 20 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी बहिस्सा 5/72 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी को सुरजीत व सूरी दोनो नाम से जाना व पहचाना जाता है। ये दोनो नाम प्रार्थी के ही है, इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति गांव लहचौडा तहसील सूरौठ में नहीं है।

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सूरजी पुत्र रमण दर्ज है, जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम सुरजीत है और इसी नाम से प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों आदि में सुरजीत दर्ज है, परन्तु सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में सुरजीत के स्थान पर सूरजी प्रार्थी का नाम दर्ज हो गया, जिससे प्रार्थी के हक हूककों काफी प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी सरकार से मिलने वाले सभी सुविधाओं से वंचित हो रहा है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के सूरजी नाम को दुरस्त कर उसके स्थान पर दस्तावेजीयात नाम सुरजीत शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम, जाति व हिस्सेदारी तो सही है, केवल प्रार्थी का नाम सुरजीत के स्थान पर सूरजी दर्ज हो गया है, जिसे शुद्ध किये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व लगान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

और ना ही अन्य खातेदारों एवं सरकार प्रतिवादी को कोई किसी प्रकार की क्षति होगी

सायल ने अपनी जमाबंदी के रिकॉर्ड की दुरुस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र गैरसायल को दिनांक 12.09.2023 को दिया तो गैरसायल ने उक्त प्रार्थना पत्र को लेकर अपने पास रख लिया और प्रार्थी से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के सुरज नाम को दुरस्त कर उसके स्थान पर दस्तावेजी सही नाम सुरजीत शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा उक्त शुद्धि के आदेश की पालना हेतु तहरीर अप्रार्थी को जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मून तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ के पत्रांक 391 दिनांक 18.12.2023, भू अभिलेख निरीक्षक विजयपुरा, पटवारी हल्का लहचौडा द्वारा जबाब न्यायालय हाजा में दिनांक 21.12.2023 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है:-

1. दावा बिन्दु संख्या 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।
2. दावा बिन्दु संख्या 2 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।
3. दावा बिन्दु संख्या 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।
4. दावा बिन्दु संख्या 4 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।
5. दावा बिन्दु संख्या 5 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।
6. दावा बिन्दु संख्या 6 अस्वीकार है।
7. दावा बिन्दु संख्या 7 अस्वीकार है।
8. दावा बिन्दु संख्या 8, 9, 10, 11 न्यायिक है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 68 खूमि खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 339 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 06 ऐयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 08 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम लहचौडा,



जमाबन्दी संवत् 2070-73, खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 1281 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 19 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 56 ऐयर वाके ग्राम लहचौडा, जमाबन्दी संवत् 2070-73 खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 374 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 59 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम लहचौडा, जमाबन्दी संवत् 2070-73 खाता संख्या 198 के खसरा नम्बर 1272 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1273 रकबा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 1274 रकबा 06 ऐयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 07 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा .45 है0 वाके ग्राम लहचौडा, जमाबन्दी संवत् 2070-73, खाता संख्या 409 के खसरा नम्बर 1284 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 20 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत लहचौडा का प्रमाण पत्र की प्रतियाँ पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से परोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत् 2070-73 भूमि खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 339 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 06 ऐयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 08 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम लहचौडा, तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी बहिस्सा 5/84 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि जमाबन्दी संवत् 2070-73 खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 1281 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 1289




रकबा 19 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 56 ऐयर वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरीठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी बहिस्सा 5/72 भाग रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि जमाबंदी संवत 2070-73 खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 374 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 59 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरीठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी बहिस्सा 5/84 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि जमाबंदी संवत 2070-73 खाता संख्या 198 के खसरा नम्बर 1272 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1273 रकबा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 1274 रकबा 06 ऐयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 07 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा .45 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरीठ में स्थित है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी बहिस्सा 5/189 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि जमाबंदी संवत 2070-73 खाता संख्या 409 के खसरा नम्बर 1284 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 20 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरीठ में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी बहिस्सा 5/72 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

जिनका अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमाबंदी सम्वत 2070-73 खाता संख्या 68, जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 144, जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 145, जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 198, जमाबन्दी 2070-73 खाता संख्या 409 में प्राथी का नाम सुरजी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्डेड जमाबन्दी में सुरजीत पुत्र रमन जिसे प्रार्थीगण के हेक में दुरुस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी सम्वत 2070-73 खाता संख्या 68, जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 144, जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 145, जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 198, जमाबन्दी 2070-73 खाता संख्या 409 में प्राथी का नाम सुरजी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्डेड जमाबन्दी में सुरजीत पुत्र रमन जाति जाटव निवासी लहचौडा किया जाता है, साथ ही राजस्व

रिकॉर्ड में उक्त दुरुस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(हेमराज गुर्जर) 5/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन